निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 36 / 2024
दायरा दिनांकः–05.08.2024
निर्णय दिनांकः– 9-4-25

उनवान

1. रामनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र गणेशराम जाति कुमावत निवासी ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 9.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि ग्राम खेरखेड़ागुसाई तहसील छबड़ा मे भूमि खाता संख्या 11 / 11 खसरा नम्बर 2.4534 है० भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा निहित है। प्रार्थी ग्राम मुण्डक्या के निवासी है और प्रार्थी के मामा गणेशराम भी मुण्डक्या के निवासी थे जिनके कोई सन्तान नहीं होने के कारण प्रार्थी ग्राम मूण्डक्या मे ही अपने मामा के यहां गोद चला गया था उसके पश्चात प्रार्थी का पिता गणेशराम दत्तक पिता कहलाया। दत्तक पिता का नाम ही प्रार्थी के नाम के पीछे लिखा जाता है। प्रार्थी के दत्तक पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय प्रार्थी छोटा. नाबालिंग था उस समय प्रार्थी को कोई ज्ञान नही था। जब प्रार्थी के दत्तक पिता का स्वर्गवास के पश्चात काश्तकारी भूमि मे इन्तकाल खुला तब हल्का पटवारी ने खाते मे खातेदार का नाम रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल लिख दिया। जबकि रामनारायण के दत्तक पिता का नाम लिखा होना चाहिये था। जो हल्का पटवारी द्वारा त्रुटी की गई है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि का इन्तकाल खोला तब उस समय रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल दर्ज कर दिया था जबकि रामनारायण के दत्तक पिता गणेशराम थे। और खाते मे रामनारायण पुत्र गणेशराम दर्ज होना चाहिये था जो हल्का पटवारी की लापरवाही से हुआ। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो मे रामनारायण पुत्र गणेशराम नाम दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा राशि के.सी.सी. व राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिए खाते में नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जबकि बैंक डायरी, वोटर आईड़ी, राशन कार्ड आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो मे गणेशराम नाम अंकित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सकरार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडागुसाई सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 11 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति पंचनामा आधार कार्ड रामनारायण, मतदाता फोटो पहचान पत्र रामनारायण, बैंक पास बुक रामनारायण जॉब कार्ड रामनारायण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डक्या तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है प्रार्थी व प्रार्थी के मामा गणेशराम मूण्डक्या के निवासी है प्रार्थी के मामा गणेशराम के कोई सन्तान थी। प्रार्थी अपने मामा गणेशराम के गोद चला गया। प्रार्थी का दत्तक पिता गणेशराम कहलाता। प्रार्थी का दत्तक पिता गणेशराम का स्वर्गवास हुआ तब प्रार्थी छोटा था। उस समय प्रार्थी को कोई ज्ञान नही था। गणेशराम को फोती नामान्तरण खोला गया तक रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल लिख दिया जबकि रामनारायण के दत्तक पिता गणेशराम दर्ज किया जाना चाहियें था। प्रार्थी के अन्य समास्त दस्तावेजों में रामनारायण पुत्र गणेशराम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है जिसमें प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम गलत होने के कारण राज्य सरकार से मिलनें वाले समस्त लाभों से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम मूण्डक्या में मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान से उक्त प्रकरण की जानकारी ली गई ग्राम वासियान ने बताया कि रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति कुमरावत निवासी ग्राम मूण्डक्या ही रहने वाला है प्रार्थी के वास्तविक पिता कन्हैयालाल जाति कुमरावत है ग्राम वासियान ने उक्त प्रकरण में ओर जानकारी चाही गई लेकिन उपस्थित ग्राम वासियान ने ओर कोई जानकारी नही होना बताया। प्रार्थी के दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में रामनारायण पुत्र गणेशराम है एवं मुताबिक राजस्व रेकार्ड में ग्राम खेरखेडागुसाई की जमाबन्दी खाता संख्या 11 रकबा 2.4534 है0 भूमि में रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति कुमरावत निवासी मूण्डक्या दर्ज रिकार्ड है खातेदार रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई थी जो नामान्तरण संख्या 118 दिनांक 01.06.1992 द्वारा बेचान रजिस्ट्री से राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडागुसाई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसील छबडा में स्थित है। सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 11 में रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बैंक पास बुक जॉब कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गणेशराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल के नाम से भूमि क्रय की गई है तथा इसी के अनुसार नामान्तरण दर्ज हुआ है अर्थात् विक्रय पत्र में वर्णित चुंकि में राजस्व त्रुटि नही हुई है। इस प्रकार शेष खसरा नम्बरों में प्रार्थी रामनारायण पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है प्रार्थी रामनारायण पुत्र गणेशराम करवाना चाहता है इसके लिए प्रार्थी को साक्ष्य सबूत/गोदनामा/ अन्य साक्ष्य पेश कर साबित करना जरूरी है धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत देय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा